RITES
THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

राइट्स लिमिटेड
(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)
RITES LIMITED
(Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India)

No. RITES/SECY/NSE
Date: September 03, 2021

To:	To:
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, 'Exchange Plaza', C-1, Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	Corporate Relationship Department, BSE Limited, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Scrip Code- RITES	**Scrip Code**- 541556

Sub: Newspaper publication regarding 47th Annual General Meeting of RITES Limited

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed herewith Public Notice published in Financial Express and Jansatta (Hindi Version) on 3rd September 2021, in compliance with Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020, intimating that 47th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 11:00 A.M. (IST), through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

Kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For RITES Limited

(Joshit Ranjan Sikidar)
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A32442

SC says social media platforms being used to spread fake news

FE BUREAU
New Delhi, September 2

EXPRESSING CONCERN OVER the dissemination of news with communal tone by a section of media, including web portals, the Supreme Court on Thursday said that social media platforms like Twitter, Facebook and YouTube are being misused to tarnish the image of institutions and judges due to the absence of regulatory mechanism. It also said that if this goes on unchecked, it would bring a bad name to the country.

A bench led by Chief Justice N V Ramana said the social media companies, Twitter, Facebook and YouTube, never respond to them and there was no control over fake news and slandering in web portals and YouTube channels. "They write (host) anything against judges, institutions without accountability. They only worry about powerful men and not judges, institutions or common people," the CJI said.

"If you go to YouTube, you will find how fake news is being freely circulated and anyone can start a channel on YouTube," the bench, also comprising CJI, and Justices Surya Kant and A S Bopanna said.

"What is shown in a section of private media bears a communal tone. Ultimately, this country is going to get a bad name. Did you ever attempt to regulate these private channels," the bench asked Solicitor General Tushar Mehta, who replied saying "not only communal but planted stories. These portals even put fake news".

The SG told the judges that the Central government has brought in Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, which provided a redressal mechanism and timely resolution of grievances of users of social media and Over-The-Top platforms. The rules also mandated the social media companies to appoint an Indian resident as grievance redressal officer.

"The real contest is between the freedom of the press and the right of citizens to get unadulterated news. We have tried to regulate and balance," the SG argued, adding that the SC can take a holistic view on the rules on the government's plea seeking transfer of petition against new IT rules pending before different high courts.

'Consolidated debt of steel industry at 9-year low on robust earnings'

FE BUREAU
New Delhi, September 2

THE DOMESTIC STEEL industry's consolidated debt narrowed to a nine-year low of ₹2 lakh crore as of July-end 2021, rating agency Icra said on Thursday, revising the sector's outlook to 'positive' from 'stable'.

"Given the strong earnings growth and capex curtailments following the pandemic related uncertainty, steelmakers started to aggressively deleverage since the second quarter of FY2021. This trend is reflected by the industry's consolidated debt levels declining to ₹2 lakh crore in end-July 2021, from ₹ 2.6 lakh crore in end-July 2020, registering a sharp decline of over 21% in a short span of a year," Icra said.

The industry's consolidated borrowings now are at their lowest levels since March 2012.

"On taking a closer look at the industry's consolidated borrowing per metric tonne of installed capacity, it stood at $180 in July 2021, shrinking by almost half from $350 prevailing in November 2008. This suggests that domestic steel companies are now significantly less leveraged than in FY'2009, when the last steel supercycle ended, following the global financial crises," it said.

The agency said benefitting from a low base and improved demand from several steel-consuming sectors, domestic consumption to grow at around 12% in the current fiscal. Last fiscal, consumption saw a 7% contraction over the previous fiscal. "The steel production growth in FY'22 is likely to be higher at around 14%, getting traction from the increasing trend in net finished steel exports," said Jayanta Roy, senior VP & group head, corporate sector ratings, Icra.

Expo 2020 Dubai: India to showcase economic, and cultural marvel

FE BUREAU
New Delhi, September 2

THE INDIAN PAVILION at the mega Expo 2020 Dubai, starting October 1, will showcase the country's march to becoming a $5-trillion economy in the post-covid era, along with its vibrant culture and its past, commerce secretary BVR Subrahmanyam said on Thursday.

The Expo, which will witness the presence of top Indian companies, start-ups and various states, will also be a vibrant place to forge business deals as well. As India celebrates 75 years of its independence, the pavilion will also mirror the celebrations as well.

"India's exceptional fightback against Covid and the emergence as a global business hub presenting huge opportunities for the world will be the overarching theme of India's participation at Expo 2020 Dubai," Subrahmanyam said.

Large number of prominent government ministers, officials and celebrities are set to visit India pavilion during the six months of Expo 2020, which will also host number of cultural events.

The India Pavilion will feature an innovative kinetic façade made up of 600 individual colourful blocks. "It is developed as a mosaic of rotating panels that will depict different themes as they rotate on their axis. It represents the theme of 'India on the move' and is a unique amalgam of the rich heritage and technological advances of the nation," according to an official statement.

The entire four-storey structure of the India pavilion is divided into two parts. The zones are identified based on 11 primary themes — climate and biodiversity, space, urban and rural development, tolerance and inclusivity, golden jubilee, knowledge and learning, travel and connectivity, global goals, health and wellness, food agriculture and livelihoods and water.

'Taking steps to address container shortage'

Subrahmanyam said the government could announce the extension of a transport subsidy scheme for farm goods within a week. The scheme, which is expected to soften the blow of exorbitant shipping costs for farm exporters, was in effect until March 2021. Acknowledging that container shortage has driven up shipping costs by 300-500% over the past few months, the secretary also pointed out that it's a global phenomenon now. Nevertheless, the govenrment is taking steps to address the issue. The Cabinet secretary held a meeting of senior officials on this issue on Wednesday. Another meeting at the shipping ministry was held on Thursday, while commerce and industry minister Piyush Goyal will chair a crucial meeting next week, he said. Both short-term and long-terms solutions are being explored, he added.

Gatishakti scheme to provide framework for NIP plan: Gadkari

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, September 2

UNION MINISTER NITIN Gadkari on Thursday said ₹100 lakh crore-Gatishakti scheme will provide a framework for the National Infrastructure Pipeline (NIP) programme and make Indian products more competitive by cutting down logistic costs and improving supply chains.

Addressing the American Chamber of Commerce's (AMCHAM) 29th AGM, the union minister also sought investments in the road sector from insurance and pension funds of the US.

"Our government is soon going to launch the national master plan of (the) Prime Minister — Gatishakti scheme of more than ₹100 lakh crore for holistic and integrated infrastructure development in India," he said.

'Engineers should introspect, find ways for timely completion of NH projects'

EXPRESSING CONCERN OVER quality and delay in various highway projects, Union minister Nitin Gadkari has urged consulting and DPR engineers to find ways to remove the deficiencies and improve quality. He said some of the quotes received by NHAI for various projects are so low that one wonders if they include the salary of the workers and good work. —PTI

INDIAN EXPRESS GROUP
RAMNATH GOENKA MEMORIAL FOUNDATION
TVS Presents
RAMNATH GOENKA EXCELLENCE IN JOURNALISM AWARDS
Call for Entries 2020
Acknowledging accuracy, courage, credibility & fairness
Last date for entries | October 15, 2021
Award Categories
Print/Digital & Broadcast • Hindi • Regional Languages • Uncovering India Invisible • Business and Economic Journalism
• Environment, Science and Technology Reporting • Reporting on Politics and Government • Sports Journalism • Investigative Reporting
Print/Digital • Reporting on Arts, Culture and Entertainment • Books (Non-Fiction) • Foreign Correspondent Covering India
• Prakash Kardaley Memorial Award for Civic Journalism • Photo Journalism
Entries are invited for the year 2020 only | To apply, log on to www.rngfoundation.com/awards

Form No.:5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007.
(Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)

Summons to the defendants under Section 19(3) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules).

Original Application No. 808/2020 **Date: 31.08.2021**

Canara Bank, Ghaziabad.......................Applicant.
Versus
M/s Rohit King Traders and others.......................Defendants.

To,
1. M/s Rohit King Traders Through its proprietor Ramesh Chand, Plot No. 4, Kallupura, Opposite Express Market, Abmbedkar Road, Ghaziabad.
2- Ramesh Chand S/o Shri Teja Ram, R/o 319, Kallupura, Near Jatwara, Ghaziabad.
3- Vinod Chand S/o Shri Ramesh Chand, R/o- H.No. 319 (New No. 535) Jatwara, Ghaziabad.
4- Suresh Chand S/o Shri Ramesh Chand, R/o- H.No. 319 (New No. 535) Jatwara, Ghaziabad.
5- Smt. Sheela Devi W/o Shri Ramesh Chand, R/o- H.No. 319 (New No. 535) Jatwara, Ghaziabad.

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/ duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 20/12/2021 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my hand and seal of the Tribunal on this the 31st August, 2021.

Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

Canara Bank
Stressed Asset Management Branch, C-34, IIIrd Floor, DDA Shopping Complex, Opp., Moolchand Hospital, New Delhi-24
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

POSSESSION NOTICE
(Appendix IV under the Act – Rule – 8(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Canara Bank (e-Syndicate Bank) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated **26/07/2019** calling upon the

Borrower:	Surety/ies:-
M/s Maple Realcon Pvt. Ltd **Registered Office:** B-22, First Floor Village Ghazipur, Delhi-110096 **Corporate Office:** SOHO House, Plot No. 69, Gyan Khand-1, Indirapuram, Ghaziabadh-201010	1. Sh. Bijay Pratap Singh S/o Late Bhuwaneshwar Prasad Singh R/o Flat No. 06091, 9 th Floor, Tower No. 6, Type A Plot No. 17, (ATS advantage) Ahimsa Khand – I Indirapuram, Ghaziabadh – 201010 2. Virendra Kumar Kaushik S/o Sh. Tara Chand Sharma R/o 13-22, 1 st floor, Village Gazipur, Gazipur, Delhi-110096 3. Mr. Sukhbeer Singh S/o Sh. Amarjeet Singh, R/o D-701 Apex Green Valley, Sector 9, Vaishali, Ghaziabadh-201010 4. Mr. Sanjay Sarin S/o Late H P Sarin R/o Flat No. A-3/511, Milan Apartment, Plot No. – 72, I.P. Extension, Patparganj, Delhi – 110092 5. Mrs. Sweta Singh W/o Sh. Sunil Kumar Singh, R/o Plot No. 297, M Block, Jalvayu Vihar, Sector-25, Noida – 201301 6. Mrs. Sarika Sarin W/o Sh. Sanjay Sarin R/o Flat No. A-3/511, Milan Apartment, Plot No. – 72, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092 7. Mr. Vijender Pal Singh S/o Sh. Bapu Singh R/o Flat No. 270, Ground Floor, Sector-01, Rohini, Delhi - 110085 8. Mr. Deepak Johari S/o Late K K Johari R/o A-902, Apex Green Valley, Sector 9, Vaishali, Ghaziabadh-201012 **Corporate Guarantor :** M/s SOHO Infrastructure Pvt. Ltd. Through RP Sh. Gaurav Gupta, B-22, Ground Floor Village Gazipur, Gazipur, Delhi - 110096

to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 12,31,43,655.02 (Rupees Twelve crore thirty one lacs forty three thousand six hundred fifty five & two paisa only)** within 60 days from the date of the said notice.
The borrower /surety / Owner Of The Property having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower /surety/ Owner Of The Property and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security (Enforcement) Rules, 2002 on this **2th Day of September of the year 2021.**
The borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.
The borrower / surety / Owner Of The Property in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Canara Bank (e-Syndicate), Noida SSI Branch for an amount of **Rs. 12,31,43,655.02 (Rupees Twelve crore thirty one lacs forty three thousand six hundred fifty five & two paisa only)** and interest thereon from 01/07/2019 and cost etc.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

1. **UREM of free hold Built-up residential flat no. A-3/511, on fifth floor, category –A, having its plinth/covered area measuring 162.00 sq.mtrs (multi storied flat) situated in the lay out plan of Milan Vihar Co-operative Group Housing Society Ltd, Plot No. 72, Known as "Milan Vihar Apartments," IP Extension, Patparganj, Delhi – 110092 owned by Mr. Sanjay Sarin and Smt. Sarika Sarin.**
2. **UREM of flat/apartment No. 902, 9 th Floor in Apex Green Valley" A block situated at village Prahlad garhi, Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad measuring super area 202.06 sq. mtrs owned by Sh. Deepak Johri.**
3. **UREM of flat/apartment No. D-701, 7 th Floor in Apex Green Valley" D block along with one covered car parking situated at village Prahlad garhi, Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad measuring covered area 161 sq. mtrs owned by Sh. Sukhbeer Singh.**
4. **UREM of free hold flat Built-up 2 nd Floor (half portion rear side) without roof rights area measuring 174. 50 sq. Yards in the building bearing Muncipal No. B-67-AB, constructed on total plot area admeasuring 349 sq. Yards alongwith proportionate undivided, indivisible and impartible ownership rights in the plot situated at Kalkaji, New Delhi owned by Smt. Sweta Singh**

Date : 02nd September 2021 **Authorised Officer**
Place : New Delhi Canara Bank

IIM AHMEDABAD
INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AHMEDABAD
invites Applications for Admission to its
Ph.D. PROGRAMME IN MANAGEMENT
The Programme seeks candidates with outstanding academic credentials, intellectual curiosity and discipline needed to make scholarly contribution to society. The programme is offered in the following Areas of high levels of specialization:

- Agriculture
- Economics
- Finance & Accounting
- Human Resource Management
- Information Systems
- Innovation & Management in Education
- Marketing
- Organizational Behaviour
- Production & Quantitative Methods
- Public Systems
- Strategy

For eligibility and other details log on to: **www.iima.ac.in/phd**
Last date of submitting on-line Application:
January 17, 2022

MP BIRLA GROUP
BIRLA CORPORATION LIMITED
CIN: L01132WB1919PLC003334
Registered Office: Birla Building, 9/1, R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001
Phone: (033) 66166729/6737, Fax: (033) 22487988/2872
E-mail: investorsgrievance@birlacorp.com, Website: www.birlacorporation.com

NOTICE
NOTICE OF THE 101ST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Hundred and First Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 10.30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business(es), as set out in the Notice convening the AGM.

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder ("Act"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the provisions of Circulars dated 13th January, 2021, 5th May, 2020,13th April, 2020 and 8th April, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circulars dated 12th May, 2020 and 15th January, 2021, issued by SEBI (collectively referred to as the "SEBI Circulars").

In accordance with the MCA and SEBI Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-2021 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-2021 will also be available on the Company's website at www.birlacorporation.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Members can participate in AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. The Company will be providing remote e-Voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. In addition, the facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM. Only those Members who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through electronic voting system at the AGM. The Company has appointed National Securities Depository Limited for facilitating voting through electronic means. Detailed procedure for remote e-Voting and voting at the AGM by the Members holding shares in the dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of AGM.

Members who have not yet registered their email addresses and phone number are requested to follow the process mentioned below:

a. Members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses and phone number by writing to the Registrar & Share Transfer Agent (RTA)/Company at mcssta@rediffmail.com and investorsgrievance@birlacorp.com respectively, along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio no., address of the Member, self-attested copy of the PAN card and self-attested copy of any document (e.g.: Driving License, Bank Statement, Election Identity Card, Passport, Aadhaar Card) in support of the address of the Member.
b. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses and phone number with the relevant Depository Participants.

The Board of Directors of your Company at its meeting held on 12th May, 2021 has recommended a dividend of ₹10/- per equity share having nominal value of ₹10/- each for the financial year ended 31st March, 2021. The dividend, as recommended by the Board, if approved at the AGM, will be paid to eligible shareholders within 30 days from the date of AGM.

Members who have not updated their bank account details for receiving the dividend directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means may follow the below instructions:

a. Members holding shares in physical mode are requested to send copy of signed request letter mentioning their name, address and folio no. to the Company's RTA, M/s. MCS Share Transfer Agent Limited, 383, Lake Gardens, 1st Floor, Kolkata - 700045, along with original cancelled cheque leaf/attested bank passbook showing name of the Account Holder.
b. Members holding shares in demat mode are requested to intimate any change in their address and/or bank mandate immediately to their respective Depository Participants.

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of Members w.e.f. 1st April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to members at the prescribed rates in the Income Tax Act, 1961. Communication in this regard has been emailed to the Members and is also available on the Company's website at https://www.birlacorporation.com/investors/notices/tds_st_ex21.pdf

For **BIRLA CORPORATION LIMITED**
Sd/-
MANOJ KUMAR MEHTA
Company Secretary & Legal Head
Place: Kolkata
Dated: 2nd September, 2021

RITES
RITES LIMITED (A Govt. of India Enterprise)
CIN: L74899DL1974GOI007227
Registered Office: SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi - 110092
E-mail: cs@rites.com; Website : www.rites.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR 47TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 47th Annual General Meeting of the Members of RITES LIMITED will be held on Wednesday, September 29, 2021, at 11:00 AM through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020,General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred to as Circulars), has further allowed companies to conduct the Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the Circulars, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM.

The notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2020-21 will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12,2020. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the Company's website www.rites.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Members can attend and participate in the AGM **through the VC/OAVM facility only**. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the AGM.

If your email ID is already registered with the Company/RTA, login details for e-voting are being sent on your registered email address.

In case you have not registered your email address with the Company/RTA and/or not updated your bank account mandate for receipt of Dividend, please follow below instructions to:

a) Register your email id for obtaining Annual Report and login details for e-voting. **(before 5 p.m. (IST) on 21st September, 2021)**

a)	Visit the https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html
b)	Select the company name viz. RITES Limited;
c)	Enter the DP ID & Client ID / Physical Folio No. and PAN number. In the event of PAN details are not available on record for Physical Folio, Members to enter one of the Share Certificate numbers;
d)	Upload the self- attested copy of PAN card for authentication. If PAN details are not available in the system, the system will prompt the Member to upload the self- attested copy of the PAN card for updation;
e)	Enter your email address and mobile number;
f)	The system will then confirm the email address for receiving the AGM notice.

b) Receiving dividends directly in your bank accounts through National Automated clearing House (NACH) or any other means **(before 5 p.m. (IST) on 21st September, 2021)**.

Physical holding	a) Visit the https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html; b) Under the "update bank details", fill the following details: 1) Bank Account No. 2) Bank Name 3) IFSC Code c) Upload a self attested scanned copy of the PAN card; d) Upload a self attested scanned copy of any document (such as AADHAR card, passport) in support of the address of the Member as registered with the Company; e) Upload a self attested scanned copy of cancelled cheque leaf bearing the name of the member or first holder, in case shares are held jointly.
Demat Holding	Members holding shares in DEMAT form are requested to update their E-payment Mandate with their respective DPs.

Alternatively, Members holding shares in demat form may update their email address and E-payment mandate with their Depository Participants (DPs) and to the Registrar in case the Members are holding shares in physical form.
Pursuant to Finance Act, 2020 Dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. 01st April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Company/RTA (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode.
A Resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G/ 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to vinay.kumar@linkintime.co.in by 5:00 p.m. IST on 21st September, 2021. Shareholders are requested to note that in case the PAN is not registered the tax will be deducted at higher rate of 20%.
In the event the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by electronic mode, due to non-registration of the bank account, the Company shall dispatch the dividend warrant/cheque to such shareholders at the earliest.

For **RITES Limited**
Sd/-
Shri Joshit Ranjan Sikidar
Company Secretary
Place: Gurugram
Date : 03.09.2021

सूचकांक और निफ्टी नई ऊंचाई पर

- सूचकांक 514.33 अंक यानी 0.90 फीसद की बढ़त के साथ 57,852.54 अंक के रेकार्ड स्तर पर बंद हुआ।
- एनएसई निफ्टी भी 157.90 अंक यानी 0.92 फीसद चढ़कर 17,234.15 अंक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ।

मुंबई, 2 सितंबर (भाषा)।

एक दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजारों में फिर तेजी लौट आई। बीएसई सूचकांक गुरुवार को 514 अंक से अधिक उछल कर नए रेकार्ड स्तर पर बंद हुआ। आइटी, दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों (एफएमसीजी) और बैंक शेयरों में तेजी से बाजार को गति मिली।

तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक 514.33 अंक यानी 0.90 फीसद की बढ़त के साथ 57,852.54 अंक के रेकार्ड स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 157.90 अंक यानी 0.92 फीसद चढ़कर 17,234.15 अंक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। सूचकांक में शामिल शेयरों में 3.34 फीसद की तेजी के साथ सर्वाधिक लाभ में टीसीएस का शेयर रहा। इसके अलावा एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, डा. रेड्डीज, नेस्ले इंडिया, कोटक बैंक, और टाइटन प्रमुख रूप से लाभ में रहे। सूचकांक की तेजी में करीब आधे का योगदान टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचयूएल और एचडीएफसी का रहा है।

दूसरी तरफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में सर्वाधिक 2.29 फीसद की गिरावट आई। कंपनी ने कहा कि वह वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की कमी के कारण उत्पादन में 25 फीसद की कमी करेगी। गिरावट वाले अन्य शेयरों में बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और एलएंडटी शामिल हैं। इनमें 0.79 फीसद तक की गिरावट रही। सूचकांक में शामिल 30 शेयरों में से 22 लाभ में जबकि आठ नुकसान में रहें।

आनंद राठी के इक्विटी शोध प्रमुख नरेंद्र सोलंकी ने कहा, 'अमेरिका में रोजगार के आंकड़े आने से पहले एशियाई बाजारों में मिले-जुले रुख के बीच घरेलू बाजारों में शुरुआत सकारात्मक रही। दोपहर के कारोबार में कारोबारियों के लिवाल बने रहने से बाजार में तेजी को और बल मिला।' जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बेहतर आर्थिक आंकड़ों, एफआइआइ (विदेशी संस्थागत निवेशक) की लिवाली और अमेरिका में रोजगार आंकड़े आने से वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में तेजी रही।' उन्होंने कहा कि आर्थिक आंकड़े पूंजीगत सामान और औद्योगिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन का संकेत देते हैं। इसके अलावा, हाल की तेजी के बाद निवेशक वैसे शेयरों को तरजीह दे रहे हैं, जो निवेश के लिहाज से सुरक्षित हो। वाहन क्षेत्र में माह के आधार पर हल्की बिक्री के कारण इस क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन अच्छा रहा।'

'दिवाला कानून के कामकाज का निष्पक्षता से हो आकलन'

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

आइबीबीआइ के अध्यक्ष एमएस साहू ने गुरुवार को दिवाला कानून के कामकाज का आकलन करने के लिए व्यापक और निष्पक्ष संरचना के निर्माण पर जोर दिया ताकि इसे लेकर तत्काल सुधार किया जा सके। उनकी टिप्पणी 2016 में लागू की गई दिवाला और शोधन अक्षमता संहिताके व्यापक प्रभाव को लेकर व्यक्त किए जा रहे अलग-अलग तरह के विचारों की पृष्ठभूमि में आई है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आइबीबीआइ) आइबीसी को लागू करने वाला प्रमुख संस्थान है जो संकटग्रस्त आस्तियों के लिए बाजार संबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रदान करता है। उन्होंने कहा, 'हमें (आइबीसी के) व्यापक और निष्पक्ष आकलन के लिए एक संरचना की जरूरत है जो इसके सही दिशा में बढ़ते रहने, प्रदर्शन का आकलन करने और त्वरित सुधार करने में मदद करे।'

निर्यात कारोबार अगस्त में 45 फीसद उछल कर 33.14 अरब डॉलर पर

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

देश से विभिन्न वस्तुओं का निर्यात अगस्त के दौरान एक साल पहले के इसी माह की तुलना में 45.17 फीसद की जोरदार वृद्धि के साथ 33.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया। एक साल पहले अगस्त में 22.83 अरब डालर का निर्यात किया गया था।

- चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान निर्यात 66.92 फीसद बढ़कर 163.67 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

वाणिज्य मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान निर्यात 66.92 फीसद बढ़कर 163.67 अरब डॉलर तक पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में 98.05 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। वहीं, अगस्त में आयात 51.47 फीसद बढ़कर 47.01 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले इसी माह में यह 31.03 अरब डॉलर रहा था। आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान आयात 81.75 फीसद बढ़कर 219.54 अरब डॉलर रहा। व्यापार घाटा इस वर्ष अगस्त में 13.87 अरब डॉलर रहा जो एक साल पहले इसी अवधि में 8.2 अरब डॉलर था।

उच्च न्यायालय ने नए वाहनों को संपूर्ण बीमा अनिवार्य करने के आदेश को स्थगित रखा

चेन्नई, 2 सितंबर (भाषा)।

मद्रास उच्च न्यायालय ने नए मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से पांच साल तक शत प्रतिशत नुकसान की भरपाई करने वाला पूर्ण बीमा (बंपर-टू-बंपर) करने के अपने आदेश को फिलहाल स्थगित रखा है। साधारण बीमा कंपनी (जीआइसी) ने अदालत से अनुरोध किया था कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) की मंजूरी के बिना इस फैसले को लागू नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए 90 दिनों की जरूरत होगी। इसके बाद न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने चार अगस्त को पारित अपने आदेश को स्थगित रखने का फैसला किया।

मद्रास उच्च न्यायालय ने इससे पहले फैसला देते हुए कहा था कि एक सितंबर से बिकने वाले नए मोटर वाहनों का संपूर्ण बीमा (बंपर-टू-बंपर) अनिवार्य रूप से होना चाहिए। संपूर्ण बीमा यानी 'बंपर-टू-बंपर' बीमा में वाहन के फाइबर, धातु और रबड़ के हिस्सों सहित 100 फीसद नुकसान का बीमा मिलता है। जीआइसी के वकील ने बुधवार को यह मामला उठाते हुए न्यायमूर्ति वैद्यनाथन से कहा कि इरडई एक नियामक संस्था है और इसकी मुख्य भूमिका बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में सामने आने वाले सामान्य मुद्दों के संबंध में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों दोनों के साथ तालमेल स्थापित करना है। इसलिए, यह जरूरी है कि जीआईसी और इरडई, दोनों को इस अपील में पक्षकार बनाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवहन आयुक्त ने 31 अगस्त को राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन विभागों को अदालत के आदेश का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए एक परिपत्र जारी किया था। जीआइसी के वकील ने 31 अगस्त को याचिका दायर कर कहा था कि बीमा कंपनियां अदालत के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे केवल उन उत्पादों का वितरण करती हैं, जिन्हें इरडई मंजूरी देता है। उन्होंने अनुरोध किया कि बीमा कंपनियों को इरडई की मंजूरी के बाद कंप्यूटर सिस्टम में बदलाव करने के लिए 90 दिनों का वक्त चाहिए। तब तक, अदालत अपने आदेश को स्थगित कर सकती है।

'इंजीनियरों को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के तरीके तलाशने चाहिए'

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता व निर्माण में होने वाली देरी पर चिंता जताते हुए सलाहकार इंजीनियर और डीपीआर इंजीनियरों से आत्मनिरीक्षण करने, कमियों को दूर करने व गुणवत्ता में सुधार लाने के तरीके तलाशने की अपील की।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मिलीं कुछ बोलियां इतनी कम हैं कि किसी को आश्चर्य होता है कि क्या उसमें कर्मचारियों का वेतन और अच्छा काम शामिल है। गडकरी ने कहा कि स्वतंत्र इंजीनियर और डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) इंजीनियरों के साथ मंत्रालय का अनुभव मिला-जुला रहा है क्योंकि जहां उन्होंने उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है, कुछ परियोजनाएं जिन्हें दो से चार साल में पूरा करने की जरूरत थी, वे दशकों से लटकी हुई हैं वह बुधवार को अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में कंसल्टिंग इंजीनियरों के साथ बातचीत कर रहे थे। गडकरी ने कहा कि सलाहकारों द्वारा आत्मनिरीक्षण करने से पता चलेगा कि क्या गलत हुआ है और (परियोजना) समय पर पूरा करने के लिए कौन से कदम जरूरी हैं।

उत्पादन में 25फीसद तक कटौती करेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा

नई दिल्ली, 2 सितंबर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने गुरुवार को कहा कि सेमीकंडक्टर की कमी के चलते उसके ऑटोमोटिव डिवीजन में उत्पादन में 25 फीसद तक की कटौती की जाएगी। इस कमी के चलते वाहन निर्माता इस महीने अपने संयंत्रों में सात दिन कोई उत्पादन कार्य नहीं करेंगे। कंपनी ने नियामकीय सूचना में कहा कि उसके ऑटोमोटिव डिवीजन को सेमीकंडक्टर की आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 पूर्णबंदी के कारण और बढ़ गई है। (भाषा)

अर्थव्यवस्था के दोबारा पटरी पर लौटने को लेकर सकारात्मक : वर्मा

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जयंत आर वर्मा ने गुरुवार को कहा कि इस समय अर्थव्यवस्था के दोबारा पटरी पर आने के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्रों में स्थिति उसे महामारी से पहले वाले स्तर पर पहुंच जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि भारतीय वित्त क्षेत्र का बेहतर स्वास्थ्य भी आर्थिक वृद्धि के लिए एक सकारात्मक कारक है।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य वर्मा ने साक्षात्कार में कहा कि उच्च और निरंतर बनी हुई मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति के लिए एक बड़ा अवरोधक है। उन्होंने कहा, 'मैं इस समय अर्थव्यवस्था के दोबारा पटरी पर लौटने को लेकर काफी सकारात्मक हूं। मुझे लगता है कि इसकी मदद से हम संपर्क-गहन सेवाओं को छोड़ कर अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्रों में महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच जाएंगे।' वर्मा ने कहा कि आगे चुनौती 2018 के आसपास शुरू हुई मंदी को पलटने और निरंतर मजबूत वृद्धि हासिल करने की है।

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि निरंतर वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश की वापसी पर निर्भर करती है और मैं इसे लेकर भी आशान्वित हूं और भारतीय वित्तीय क्षेत्र का बेहतर स्वास्थ्य भी आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक कारक है।' कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 20.1 फीसद की रेकार्ड वृद्धि दर्ज की गई। इसका कारण पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही का तुलनात्मक आधार नीचे होना और विनिर्माण व सेवा क्षेत्रों का बेहतर प्रदर्शन रहा है।

केनरा बैंक Canara Bank

केनरा बैंक
के 2-4-मोहन गार्डन
उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059

कब्जा सूचना

कब्जा सूचना [धारा 13(4)]
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के एक्ट 54) (यहां के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 21.5.2021 जारी कर ऋणधारक श्री सुनील कुमार, प्रॉप्राईटर मै. तिरुपति बालाजी ट्रेडर्स को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 68,67,693.96 (रु. अड़सठ लाख सड़सठ हजार छः सौ तिड़ानवे एवं पैसे छियानवे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 27 अगस्त, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 68,67,693.96 (रु. अड़सठ लाख सड़सठ हजार छः सौ तिड़ानवे एवं पैसे छियानवे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

पंजीकरण उप-जिला रामा पार्क, उत्तम नगर तथा जिला नई दिल्ली के भीतर फ्लैट नं./प्लॉट नं. बी-120, सि. नं./सिटी या टाउन सर्वे नं./खसरा नं. 525 में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. बी-121, पूर्वः 20 फीट रोड, दक्षिणः प्लॉट का भाग, पश्चिमः लेन।

तिथिः 21.8.2021 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नई दिल्ली — **केनरा बैंक**

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

शाखा कार्यालयः चावड़ी बाजार, दिल्ली-110006

कब्जा सूचना धारा 13(4) के अन्तर्गत नियम 8(1) के तहत (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित [अधिनियम, 2002 (2002 का 54)] के अंतर्गत **यूको बैंक, चावड़ी बाजार, दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **21.06.2021** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः निशा** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.6,89,064.43 (छः लाख नवासी हजार चौंसठ रूपये तैंतालिस पैसे मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 of उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 01 सितम्बर, 2021** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि **वे सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.6,89,064.43 (छः लाख नवासी हजार चौंसठ रूपये तैंतालिस पैसे मात्र)** और उस पर ब्याज के साथ **यूको बैंक, चावड़ी बाजार, दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों / गारंटरों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो फ्लैट सं. 32बी, पहला तल, पॉकेट-बी, सेक्टर-26, फेज-2, द्वारिका, डाकखाना द्वारिका, दिल्ली-110075. दिनांक 27.08.2013 को उप पंजीयक VII, दिल्ली में पंजीकृत पुस्तक संख्या 1, खण्ड संख्या 4955 पर पृष्ठ संख्या 148-149 पर वाहन विलेख संख्या 21933 के माध्यम से पंजीकृत। परिमाप 378 वर्गफीट।

तिथिः 01.09.2021 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नई दिल्ली — **यूको बैंक**

RITES
राइट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन नं.: L74899DL1974GOI007227
पंजीकृत कार्यालयः स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092
ई-मेल : cs@rites.com; वेबसाइट : www.rites.com

47वीं वार्षिक आमसभा के लिए शेयर धारकों को सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि राइट्स लिमिटेड के सदस्यों की 47वीं वार्षिक आमसभा का आयोजन बुधवार, दिनांक 29 सितंबर, 2021 को प्रातः 11:00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम सभा के आयोजन के संबंध में वितरित की जा रही सूचना में निर्धारित कार्य-संपादन के लिए किया जाएगा।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के जारी प्रसार को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 के साथ पठित दिनांक 13 जनवरी, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 (सामूहिक रूप से परिपत्रों के नाम से संदर्भित) द्वारा कम्पनियों को सदस्यों की बैठक का आयोजन किसी एक स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल विधियों (ओएवीएम) से करने की अनुमति दी गई है। इन परिपत्रों का अनुसरण करते हुए कम्पनी की वार्षिक आमसभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों (ओएवीएम) से किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के उपर्युक्त परिपत्रों एवं दिनांक 12 मई, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसरण में वार्षिक आमसभा की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन्हीं सदस्यों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया यह नोट करें कि वार्षिक आम सभा की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.rites.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों से वार्षिक आम सभा में भाग तथा प्रतिभागिता कर सकते हैं। वार्षिक आमसभा में भाग लेने से संबंधित निर्देश वार्षिक आमसभा की सूचना में दिए गए हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम का गणन करने के उद्देश्य से वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी।

कम्पनी की ओर से अपने सभी सदस्यों को वार्षिक आम सभा की सूचना में निर्धारित संकल्पों पर अपना वोट देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा, कम्पनी वार्षिक आम सभा के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने की सुविधा भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग से संबधित विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम सभा की सूचना में दी गई है।

यदि आपका ईमेल पता पहले से ही कम्पनी/आरटीए के पास पंजीकृत है तो आपको ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा रहा है।

यदि आपका ईमेल पता कम्पनी/आरटीए के पास पंजीकृत नहीं है तथा/अथवा लाभांश की प्राप्ति के लिए आपका बैंक खाता मैनडेट अद्यतन नहीं है तो कृपया नीचे दिए निदेशों का अनुसरण करें :-

क) ई-मेल आईडी वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु पंजीकृत करवाये **(21 सितंबर, 2021 तक सांय 5.00 बजे (आईएसटी) से पहले या तक)।**

क)	https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर जाएं।
ख)	कंपनी का नाम चयनित करें अर्थात राइट्स लिमिटेड;
ग)	डीपी आईडी तथा क्लाईट आईडी/फिजिकल फोलियों नंबर तथा पैन नंबर दर्ज करें। रिकॉर्ड में फिजिकल फोलियों के लिए पैन नंबर का विवरण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, सदस्य को अपने एक शेयर प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज करना होगा;
घ)	प्रमाणीकरण के लिए, पैन कॉर्ड की स्वःसत्यापित प्रति अपलोड करें। यदि सिस्टम में पैन विवरण उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम अपडेशन के लिए सदस्य को पैन कॉर्ड की स्वःसत्यापित प्रति अपलोड करने का निर्देश प्राप्त होगा;
च)	अपना ई-मेल पता तथा मोबाईल नंबर दर्ज करें;
छ)	इसके उपरांत, सिस्टम एजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु ई-मेल पते की पुष्टि करेगा।

ख) नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाऊस (एनएसीएच) या किसी अन्य माध्यम से सीधे लाभांश प्राप्त करना **(21 सितंबर, 2021 तक सांय 5.00 बजे (आईएसटी) से पहले या तक)।**

भौतिक धारण	क) https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html; पर जाएं; ख) "बैंक विवरण अपडेट" के अंतर्गत, निम्नलिखित जानकारी भरें: 1) बैंक खाता संख्या 2) बैंक का नाम 3) आईएफएससी कोड ग) पैन कार्ड की स्वःप्रमाणित स्कैन कॉपी अपलोड करें; घ) कंपनी में सदस्य के रूप में पंजीकृत किए गए पते की पुष्टि करवाने के लिए किसी भी दस्तावेज की स्वयंःसत्यापित स्कैन की गई प्रति (जैसेकि आधार कार्ड, पासपोर्ट) अपलोड करें; च) सदस्य के नाम तथा यदि शेयरों का संयुक्त धारण है तो प्रथम धारक के नाम वाले रद्द किए गए चैक की स्कैन की गई स्वयं सत्यापित प्रति अपलोड करें।
डीमैट होल्डिंग	डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ ई-पेमेंट मैनडेट को अद्यतन(अपडेट) कर लें।

इसके विकल्प के तौरपर, डीमेट स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्य अपने ईमेल पते एवं ई-पेमेंट मैनडेट अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास तथा यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया है तो रजिस्ट्रार के पास अद्यतन करवा सकते हैं।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से लाभांश आय शेयरधारकों द्वारा कर भुगतान किए जाने योग्य है तथा शेयरधारकों को चुकता किए जाने वाले लाभांश के प्रति कम्पनी से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती की जानी अपेक्षित है। शेयर धारकों से यह अनुरोध है कि विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित दरें ज्ञात करने के लिए वे वित्त अधिनियम, 2020 एवं उससे संबंधित संशोधनों का अवलोकन करें। शेयरधारकों से यह अनुरोध है कि वे अपना पैन कम्पनी/आरटीए के पास (यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया है) तथा डिपोजिटरी (यदि शेयरों का धारण डीमेट स्वरूप में किया है) के पास अद्यतन करवा ले।

ऐसे निवासी वैयक्तिक शेयरधारक, जिनके पास पैन है तथा जो आयकर चुकता करने के पात्र नहीं हैं, स्रोत पर कर कटौती न किए जाने का लाभ, प्राप्त करने के लिए फार्म संख्या 15जी/15एच में वार्षिक घोषणा दिनांक 21 सितंबर, 2021 को सायं 5 बजे (आईएसटी) तक vinay.kumar@linkintime.co.in को ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। शेयरधारकों से यह अनुरोध है कि कृपया वे यह नोट कर लें पैन पंजीकृत न होने की स्थिति में कर की कटौती 20 प्रतिशत की उच्चतर दर पर की जाएगी।

यदि किसी स्थिति में, बैंक खाता पंजीकरण न होने के कारण, कम्पनी किसी शेयरधारक को इलैक्ट्रानिक माध्यम से लाभांश का भुगतान नहीं कर पाती है तो ऐसे शेयर धारकों को लाभांश वारंट/चैक प्रेषित कर दिए जाएंगे।

कृते राइट्स लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
स्थान : गुरुग्राम — श्री जोशीत रंजन सिकिदर
दिनांक : 03.09.2021 — कंपनी सचिव

NHPC
एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
CIN: L40101HR1975GOI032564
पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, (हरियाणा)-121003
ई-मेलः companysecretary@nhpc.nic.in, टेलीफैक्सः 0129-2588110, वेबसाइटः www.nhpcindia.com

45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-मतदान की जानकारी और बही बंदी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों की 45वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") और सेबी द्वारा जारी इस विषय पर अन्य लागू परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, दिनांक **अगस्त 28, 2021** की एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए कारोबार को संचालित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से **बुधवार, सितंबर 29, 2021 को 3:00** बजे आयोजित की जाएगी। सुसंगत परिपत्रों के अनुपालन में, **20 अगस्त, 2021** की स्थिति के अनुसार उन सभी सदस्यों जिनके ई-मेल पते कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी सहभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 दिनांक **सितंबर 02, 2021** को भेज दी गई है। पूर्वकथित दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को इस अधिनियम की धारा 103 के तहत न्यूनतम अपेक्षित संख्या (कोरम) के उद्देश्य से गिना जाएगा।

आगे यह सूचित किया जाता है कि सुसंगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (एलओडीआर) के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक, **शनिवार, सितंबर 18, 2021 से बुधवार, सितंबर 29, 2021** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से और एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा निःशुल्क निरीक्षण हेतु सूचना में विनिर्दिष्ट दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने वाले सदस्य अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करते हुए agm2021@nhpc.nic.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 और सुसंगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, कंपनी एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम 45वीं एजीएम में संचालित किए जाने वाले कारोबार पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने एजीएम के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मत दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

(क) 45वीं एजीएम की सूचना में यथा विनिर्दिष्ट कारोबारों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं।
(ख) सदस्य अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वीसी / ओएवीएम के माध्यम से 45वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं।
(ग) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश और ई-वोटिंग की प्रक्रिया को इस तरह से संचालित करना है, जिसमें भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।
(घ) रिमोट ई-वोटिंग **शनिवार, सितंबर 25,2021** को **सुबह 9:00 बजे** (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और मंगलवार, सितंबर 28, 2021 को शाम 5 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। **मंगलवार, सितंबर 28, 2021** को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) के बाद रिमोट ई-वोटिंग करने की अनुमति नहीं होगी और सदस्य द्वारा संकल्प पर मत देने के पश्चात, उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(ङ) वे सदस्य जिनके नाम कटऑफ तारीख अर्थात **बुधवार, सितंबर 22, 2021** की स्थिति के अनुसार, सदस्यों के रजिस्टर में या डिपाजटॉरीज द्वारा बनाई गई लाभकारी स्वामियों की सूची में दर्ज है, केवल वे ही एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सुविधा का लाभ लेने के हकदार होंगे।
(च) कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है तथा एजीएम की सूचना भेजने के बाद सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख अर्थात **बुधवार, सितंबर 22, 2021** तक शेयरों को धारित करता है, तो वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की नोटिस में भी दी की गई है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल से पंजीकृत है, तो मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है।
(छ) सदस्य नोट करें कि: -

I. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से अपना मतदान किया है, वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

II. लाभांश संबंधी सूचनाः-

क) अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों के हकदारी के निर्धारण के लिए, यदि एजीएम में घोषित होने पर, कंपनी ने **शुक्रवार, सितंबर 17,2021** को "रिकॉर्ड तिथि" के रूप में तय किया है। वे सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि के अनुसार लाभकारी स्वामियों की सूची / सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे अंतिम लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ख) प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, लाभांश का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चेक उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।

ग) लाभांश का भुगतान लागू दरों पर टैक्स एट सोर्स (टीडीएस) की कटौती के अधीन होगा, अधिक जानकारी के लिए, एजीएम के नोटिस में दिए गए नोट को देखें।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग, ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों एवं वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ने के लिए, सदस्य एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों का संदर्भ देख सकते हैं या https://www.evoting.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित जानकारी और निर्देश ई-मेल के माध्यम से सदस्यों को भेजे गए हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए।

किसी भी पूछताछ के मामले में, सदस्य कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारको के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ग्रहण करें अथवा टॉल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें अथवा मेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 से निर्दिष्ट ईमेल आईडी- evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या sonis@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नंबर + 91 22 24994545, +91 22 24994559 पर संपर्क करें। इन व्यक्तियों से एजीएम से पहले या उसके दौरान ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में जुड़ने से संबंधित शिकायतों का निवारण और कोई अन्य तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकेगी।

(ज) इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से सभी संचार (एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट सहित) प्राप्त करने के लिए:
क) डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अपडेट करें।
ख) फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सभी सदस्य और वे सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम, फोलियो नंबर और पता का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित प्रति के साथ कंपनी (ईमेल agm2021@nhpc.nic.in)/आरटीए (ईमेल alankit.nhpc@alankit.com) को लिखकर इसे पंजीकृत/अद्यतन करवा लें।

वे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए agm2021@nhpc.nic.in पर **सोमवार, सितंबर 20, 2021 से गुरुवार, सितंबर 23, 2021** तक अपना अनुरोध भेजकर स्वयं को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी के पास समय की उपलब्धता और एजीएम के सुचारू संचालन के अनुसार प्रश्नों की संख्या एवं बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है।

सदस्य अपना अनुरोध कंपनी सचिव को agm2021@nhpc.nic.in पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने पिछले वर्षों के लिए अपने लाभांश वारंट को संकोशित (एन्कैस्ड) या प्राप्त नहीं किया है, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आरटीए को उसे पुनर्वैध करने या उसके डुप्लिकेट प्राप्त करने के लिए लिखें।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/-
(सौरभ चक्रवर्ती)
कंपनी सचिव
दिनांक : सितंबर 02, 2021
स्थान : फरीदाबाद

केनरा बैंक Canara Bank

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध शाखा,
सी-34, IIIरा तल, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लैक्स,
मूलचन्द अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110024
(भारत सरकार का उपक्रम)

कब्जा सूचना
(अधिनियम - नियम-8(1) के तहत परिशिष्ट IV)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में केनरा बैंक (ई-सिंडीकेट बैंक) का अधिकृत प्राधिकृत होने के नाते निम्नलिखित को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 12,31,43,655.02 (रुपये बारह करोड़ इकतीस लाख तैंतालीस हजार छः सौ पचपन एवं दो पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना तिथि दिनांक 26.07.2019 जारी की थी :

कर्जदार :	आश्वस्तियाँ :
मैसर्स मैपल रिएलकॉन प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय : बी-22, प्रथम तल, ग्राम गाजीपुर, दिल्ली-110096 कॉर्पोरेट कार्यालय : सोहो हाउस, प्लॉट नं. 69, ज्ञान खण्ड-1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-201010	1. श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र स्व. भुवनेश्वर प्रसाद सिंह निवासी : फ्लैट नं. 06091, 9वीं मंजिल, टॉवर नं. 6, टाइप ए, प्लॉट नं. 17 (एटीएस एडवांटेज), अहिंसा खण्ड-I, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-201010 2. वीरेन्द्र कुमार कौशिक पुत्र श्री तारा चन्द शर्मा निवासी 13-22, प्रथम तल, ग्राम गाजीपुर, गाजीपुर, दिल्ली-110096 3. श्री सुखबीर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह निवासी : डी-701, एपेक्स ग्रीन वैली, सेक्टर 9, वैशाली, गाजियाबाद-201010 4. श्री संजय सरीन पुत्र स्व. एच.पी. सरीन, निवासी : फ्लैट नं. ए-3/511, मिलन अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 72, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 5. श्रीमती श्वेता सिंह पत्नी श्री सुनील कुमार सिंह, निवासी : प्लॉट नं. 297, एम ब्लॉक, जलवायु विहार, सेक्टर 25, नोएडा-201301 6. श्रीमती सारिका सरीन पत्नी श्री संजय सरीन, निवासी : फ्लैट नं. ए-3/511, मिलन अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 72, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 7. श्री विजेन्दर पाल सिंह पुत्र श्री बापू सिंह, निवासी : फ्लैट नं. 270, भूतल, सेक्टर-01, रोहिणी, दिल्ली-110085 8. श्री दीपक जौहरी पुत्र स्व. के.के. जौहरी, निवासी : ए-902, एपेक्स ग्रीन वैली, सेक्टर 9, वैशाली, गाजियाबाद-201012. कॉर्पोरेट जमानती : मैसर्स सोहो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., आर.पी. श्री गौरव गुप्ता, बी-22, भूतल, ग्राम गाजीपुर, गाजीपुर, दिल्ली-110096 के माध्यम से।

कर्जदार/आश्वस्ति/सम्पत्ति के स्वामी राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे अतः एतद्वारा कर्जदार/आश्वस्ति/सम्पत्ति के स्वामी को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 2 सितम्बर, 2021 को सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

एतद्वारा कर्जदार/आश्वस्ति/सम्पत्ति के स्वामी को तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार रु. 12,31,43,655.02 (रुपये बारह करोड़ इकतीस लाख तैंतालीस हजार छः सौ पचपन एवं दो पैसे मात्र) तथा 01.07.2019 से उस पर ब्याज एवं लागतों आदि के लिए केनरा बैंक (ई-सिंडीकेट), नोएडा एसएसआई शाखा के प्रभार के विषय होगा।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

1. फ्री होल्ड बिल्ट-अप आवासीय फ्लैट सं. ए-3/511, पाँचवा तल, श्रेणी-ए का यूरेम, प्लिंथ/कवर्ड एरिया माप 162.00 वर्ग मीटर (बहुमंजिला फ्लैट), मिलन विहार को-ऑपरेटिर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्लॉट नं. 72, "मिलन विहार अपार्टमेंट्स", आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 के लेआउट प्लान में स्थित, स्वामित्व श्री संजय सरीन एवं श्रीमती सारिका सरीन।
2. फ्लैट/अपार्टमेंट नं. 902, एपेक्स ग्रीन वैली में 9वीं मंजिल, ए-ब्लॉक का यूरेम, ग्राम प्रह्लाद गढ़ी, परगना लोनी, तहसील एवं एएमपी, जिला गाजियाबाद में स्थित, माप सुपर एरिया 202.06 वर्ग मीटर, स्वामित्व श्री दीपक जौहरी।
3. फ्लैट/अपार्टमेंट नं. डी-701, एपेक्स ग्रीन वैली में 7वीं मंजिल, डी-ब्लॉक का यूरेम, साथ ही एक कवर्ड कार पार्किंग, ग्राम प्रह्लाद गढ़ी, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित, माप कवर्ड एरिया 161 वर्ग मीटर, स्वामित्व श्री सुखबीर सिंह।
4. फ्री होल्ड बिल्ट-अप दूसरी मंजिल (पिछली ओर का आधा भाग) का यूरेम, छत के अधिकार रहित, माप क्षेत्रफल 174.50 वर्ग गज, भवन निगम सं. बी-67-एबी में, कुल प्लॉट क्षेत्रफल 349 वर्ग गज पर निर्मित, साथ ही कालकाजी, नई दिल्ली पर स्थित प्लॉट में अविभाजित, अविभाज्य एवं इम्पार्टिबल स्वामित्व अधिकार, स्वामित्व श्रीमती श्वेता सिंह।

तिथि : 2 सितम्बर, 2021 — **अधिकृत प्राधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली — **केनरा बैंक**